न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:— 23/21 निर्णय दिनांक:—16.03.2021

1 श्रीमति कंकुदेवी पत्नि मोहनलाल जाति मीणा निवासी केशरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्रीमति गीतादेवी पत्नि विरेन्द्रकुमार जाति मीणा निवासी केशरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीयागण

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 111 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठित 212 जा. दी.

उपस्थित :— श्री गौतमलाल रोत वकील वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीयागण गांव भादर के स्थायी निवासी है। वादीयागण खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वादीयागण के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा भादर में खाता संख्या 37, खसरा नम्बर 863/492 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 2.4848 हैक्टेयर होकर 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादीयागण कॉलम संख्या 2 में अंकित अपने कब्जे काश्त विरासती आराजी में अपने 1/2, 1/2 हिस्से में फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था। आस पास के लोग कॉलम संख्या 2 की आराजी अपनी बताकर विवाद करने लगे जिस पर वादीयागण को रोकने की कोशिश करने पर प्रतिवादीगण अपनी भुमि बताकर सीमा विवाद उत्पन्न करने लगे जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने लगे जिससे वाद प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। वादीयागण के कब्जे काश्त की विरासती आराजी होने से पास के लोग जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भुमि पर अतिक्रमण करने वादीगण से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि वादीयागण का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है जिससे लगातार विवाद बढने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वादीयागण के कब्जे काश्त की आराजी में कुछ लोग ने जबरन प्रवेश कर जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया। वादीयागण को अपने हिस्से से बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वादीयागण के पुर्वजो से ही विरासती कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहे है। जबकि वादीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा वादीगण का परिवार भुखा मर जाएगा।

जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादीयागण की खातेदारी आराजी मौजा भादर में खाता संख्या 37, खसरा नम्बर 863/492 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 2.4848 हैक्टेयर होकर 1/2, 1/2 हिस्से में आस पास के लोगों द्वारा विवाद करने पाबंद करे की वादीयागण को काश्त में रूकावट उत्पन्न करे।

इस प्रकार वादीयागण ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादीयागण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। मौजा भादर में खाता संख्या 37, खसरा नम्बर 863/492 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 2.4848 हैक्टेयर होकर 1/2, 1/2 हिस्से पर पत्थर गढी करना उचित हैं

आदेश

अतः वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाता है वादीयागण के अपने कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भुमि मौजा भादर में खाता संख्या 37, खसरा नम्बर 863/492 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 2.4848 हैक्टेयर होकर 1/2, 1/2 हिस्से की भुमि में पत्थर गढी करने का आदेश किया जाता है। सीमलवाडा तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि की पत्थर गढी हेतु आवश्यकता होने पर राजस्व कर्मचारी पटवारी की टीम गठित कर एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने पुलिस का सहयोग लेवे। एवं पडौसी काश्तकारों को नोटिस देकर पत्थर गढी करावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा